

स्पीड पोस्ट/ई-मेल

संख्या-6/एफ1-05/2025 श्र0सं0- 5116

बिहार सरकार

श्रम संसाधन विभाग

प्रेषक,

मनीष कुमार,
सहायक श्रमायुक्त।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर/मधेपुरा/भोजपुर (आरा)/सुपौल/दरभंगा/सारण
(छपरा)/मुजफ्फरपुर/नवादा एवं अरवल।

उप श्रमायुक्त, दरभंगा, एवं मुंगेर।

श्रम अधीक्षक, पूर्वी चम्पारण।

पटना, दिनांक-21/8/25

विषय:-

वित्तीय वर्ष 2025-26 में मुख्य शीर्ष-2230-श्रम, रोजगार और कौशल विकास उप मुख्य शीर्ष-01-श्रम-लघुशीर्ष-103-सामान्य श्रम कल्याण-मांग संख्या-26, उपशीर्ष-0103-बाल श्रमिक पुनर्वास तंत्र का सुदृढीकरण (विपत्र कोड-26-2230011030103), मुख्य शीर्ष-2230-श्रम, रोजगार और कौशल विकास उपमुख्य शीर्ष-01-श्रम- लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-उपशीर्ष-0104-बाल श्रमिक पुनर्वास तंत्र का सुदृढीकरण (विपत्र कोड-26-2230017890104) एवं मुख्य शीर्ष-2230-श्रम, रोजगार और कौशल विकास-उप मुख्य शीर्ष-0102-बाल श्रमिक पुनर्वास तंत्र का सुदृढीकरण (विपत्र कोड-26-2230017960102) के अन्तर्गत के अन्तर्गत CFMS2.0 Software से आवंटन निर्गत करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्त विभाग से प्राप्त दिशा निर्देश के आलोक में वित्तीय वर्ष 2025-26 में बाल श्रमिक पुनर्वास तंत्र का सुदृढीकरण योजना अन्तर्गत CFMS2.0 Software से राशि आवंटित की गई है, जिसका विवरण निम्नवत है:-

3. मांग संख्या-26-मुख्य शीर्ष-2230-श्रम, रोजगार और कौशल विकास-उपमुख्य शीर्ष-01-श्रम- लघु शीर्ष-103-सामान्य श्रम कल्याण-मांग संख्या-26 उपशीर्ष-0103-बाल श्रमिक पुनर्वास तंत्र का सुदृढीकरण (विपत्र कोड-26-2230011030103) योजना के अन्तर्गत सामान्य श्रेणी के विमुक्त बाल श्रमिकों के लिए रु 5,000/-की दर से जिला बाल श्रमिक पुनर्वास सह कल्याण कोष में जमा कराने हेतु : -

क्र0 सं0	विषयशीर्ष 37.01-अनुग्रह अनुदान	जिला का नाम	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का नाम	विमुक्त बाल श्रमिकों की संख्या	आवंटित राशि (रु)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
1	0103.37.01	समस्तीपुर	जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर	02	10000	श्रम अधीक्षक, समस्तीपुर का पत्रांक-1489, दिनांक-29.07.2025 के आलोक में।

2	0103.37.01	मधेपुरा	जिला पदाधिकारी, मधेपुरा	07	35000	श्रम अधीक्षक, मधेपुरा का पत्रांक-621, दिनांक-28.07.2025 के आलोक में।
3	0103.37.01	भोजपुर (आरा)	जिला पदाधिकारी, भोजपुर (आरा)	04	20000	श्रम अधीक्षक, भोजपुर (आरा) का पत्रांक-576, दिनांक-24.07.2025 के आलोक में।
4	0103.37.01	सुपौल	जिला पदाधिकारी, सुपौल	01	5000	श्रम अधीक्षक, सुपौल का पत्रांक-819, दिनांक-28.07.2025 के आलोक में।
5	0103.37.01	दरभंगा	जिला पदाधिकारी, दरभंगा	16	80000	श्रम अधीक्षक, अधिनियम, दरभंगा का पत्रांक-2159, दिनांक-29.07.2025 के आलोक में।
6	0103.37.01	सारण (छपरा)	जिला पदाधिकारी, सारण (छपरा)	04	20000	श्रम अधीक्षक, अधिनियम, सारण (छपरा) का पत्रांक-2099, दिनांक-02.08.2025 के आलोक में।
7	0103.37.01	मुजफ्फरपुर	जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर	05	25000	उप श्रमायुक्त, मुजफ्फरपुर का पत्रांक-2783, दिनांक-01.08.2025 के आलोक में।

4. मांग संख्या-26-मुख्य शीर्ष-2230-श्रम, रोजगार और कौशल विकास-उपमुख्य शीर्ष-01-श्रम- लघु शीर्ष-103-सामान्य श्रम कल्याण-मांग संख्या-26 उपशीर्ष-0103-बाल श्रमिक पुनर्वास तंत्र का सुदृढीकरण (विपत्र कोड-26-2230011030103) योजना के अन्तर्गत सामान्य श्रेणी के विमुक्त बाल श्रमिकों के लिए रु 3,000/-की दर से स्थायी अग्रिम से भुगतान करने के पश्चात् प्रतिपूर्ति हेतु : -

क्र०सं०	कार्यालय का नाम	विमुक्त बाल श्रमिक की सं०	21-सामग्री और आपूर्ति			कुल योग (रु)	अभ्युक्ति (कार्यालय का पत्रांक एवं दिनांक)
			विषयशीर्ष सामग्री एवं पूर्तियाँ (0103.21.01) से 2300/- राशन एवं 500/- वस्त्र प्रति बाल श्रमिक की दर से	विषयशीर्ष दवा भण्डार (0103.21.02) से विमुक्ति के समय दवा हेतु-100/- प्रति बाल श्रमिक की दर से	विषयशीर्ष आहार/पथ्य (0103.21.03) से विमुक्ति के समय भोजन/नास्ता हेतु-100/- प्रति बाल श्रमिक की दर से		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	उप श्रमायुक्त, दरभंगा	06	16800	600	600	18000	उप श्रमायुक्त, दरभंगा पत्रांक-2131 दिनांक-26.07.2025 के आलोक में।

2	श्रम अधीक्षक, पूर्वी चम्पारण	10	28000	1000	1000	30000	श्रम अधीक्षक, पूर्वी चम्पारण पत्रांक-1001 दिनांक-14.07.2025 के आलांक में।
3	उप श्रमायुक्त, मुंगेर	08	22400	800	800	24000	सहायक श्रमायुक्त, मुंगेर पत्रांक-1534 दिनांक-06.08.2025 के आलांक में।

4. मांग संख्या-26-मुख्य शीर्ष-2230-श्रम, रोजगार और कौशल विकास, उप मुख्य शीर्ष-01-श्रम- लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-उपशीर्ष-0104-बाल श्रमिक पुनर्वास तंत्र का सुदृढीकरण (विपत्र कोड-26-2230017890104) के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के विमुक्त बाल श्रमिकों के लिए रु 5,000/-की दर से जिला बाल श्रमिक पुनर्वास सह कल्याण कोष में जमा कराने हेतु : -

क्र० सं०	विषयशीर्ष 37.01-अनुग्रह अनुदान	जिला का नाम	निकासी एवं व्यय पदाधिकारी का नाम	विमुक्त बाल श्रमिकों की संख्या	आवंटित राशि(रु)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
1	0104.37.01	समस्तीपुर	जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर	03	15000	श्रम अधीक्षक, समस्तीपुर का पत्रांक-1489, दिनांक-29.07.2025 के आलांक में।
2	0104.37.01	मधेपुरा	जिला पदाधिकारी, मधेपुरा	01	5000	श्रम अधीक्षक, मधेपुरा का पत्रांक-621, दिनांक-28.07.2025 के आलांक में।
3	0104.37.01	भोजपुर (आरा)	जिला पदाधिकारी, भोजपुर (आरा)	01	5000	श्रम अधीक्षक, भोजपुर (आरा) का पत्रांक-576, दिनांक-24.07.2025 के आलांक में।
4	0104.37.01	नवादा	जिला पदाधिकारी, नवादा	02	10000	श्रम अधीक्षक, नवादा का पत्रांक-892, दिनांक-31.07.2025 के आलांक में।
5	0104.37.01	अरवल	जिला पदाधिकारी, अरवल	01	5000	श्रम अधीक्षक, अरवल का पत्रांक-407, दिनांक-29.07.2025 के आलांक में।
6	0104.37.01	दरभंगा	जिला पदाधिकारी, दरभंगा	06	30000	श्रम अधीक्षक, अधिनियम, दरभंगा, का पत्रांक-2159, दिनांक-29.07.2025 के आलांक में।
7	0104.37.01	सारण (छपरा)	जिला पदाधिकारी, सारण (छपरा)	02	10000	श्रम अधीक्षक, अधिनियम, सारण (छपरा) का पत्रांक-2099, दिनांक-02.08.2025 के आलांक में।

8	0104.37.01	मुजफ्फरपुर जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर	06	30000	उप श्रमायुक्त, मुजफ्फरपुर का पत्रांक-2783, दिनांक-01.08.2025 के आलोक में।
---	------------	--	----	-------	---

5. मांग संख्या-26-मुख्य शीर्ष-2230-श्रम, रोजगार और कौशल विकास उपमुख्य शीर्ष-01-श्रम-लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-उपशीर्ष-0104-बाल श्रमिक पुनर्वास तंत्र का सुदृढीकरण (विपत्र कोड-26-2230017890104) के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के विमुक्त बाल श्रमिकों के लिए रु 3,000/- की दर से स्थायी अग्रिम से भुगतान करने के पश्चात् प्रतिपूर्ति हेतु : -

क्र०सं०	कार्यालय का नाम	विमुक्त बाल श्रमिक की सं०	21-सामग्री और आपूर्ति			कुल योग (रु)	अभ्युक्ति (कार्यालय का पत्रांक एवं दिनांक)
			विषयशीर्ष सामग्री एवं पूर्तियाँ (0104.21.01) से 2300/- राशन एवं 500/- वस्त्र प्रति बाल श्रमिक की दर से	विषयशीर्ष दवा भण्डार (0104.21.02) से विमुक्ति के समय दवा हेतु-100/- प्रति बाल श्रमिक की दर से	विषयशीर्ष आहार/पथ्य (0104.21.03) से विमुक्ति के समय भोजन/नास्ता हेतु-100/- प्रति बाल श्रमिक की दर से		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	उप श्रमायुक्त, दरभंगा	02	5600	200	200	6000	उप श्रमायुक्त, दरभंगा का पत्रांक-2131 दिनांक-26.07.2025 के आलोक में।
2	श्रम अधीक्षक, पूर्वी चम्पारण	02	5600	200	200	6000	श्रम अधीक्षक, पूर्वी चम्पारण का पत्रांक-1001 दिनांक-14.07.2025 के आलोक में।
3	उप श्रमायुक्त, मुंगेर	08	22400	800	800	24000	सहायक श्रमायुक्त मुंगेर का पत्रांक-1534 दिनांक-06.08.2025 के आलोक में।

6. अनुसूचित जनजाति के बाल श्रमिकों के लिए—मुख्य शीर्ष—2230—श्रम, रोजगार और कौशल विकास—उप मुख्य शीर्ष—0102—बाल श्रमिक पुनर्वास तंत्र का सुदृढीकरण (विपत्र कोड—26—2230017960102) के अन्तर्गत 3,000/—की दर से स्थायी अग्रिम से भुगतान करने के पश्चात् प्रतिपूर्ति हेतु :—

क्र०सं०	कार्यालय का नाम	विमुक्त बाल श्रमिक की सं०	21—सामग्री और आपूर्ति			कुल योग (रु)	अभ्युक्ति (कार्यालय का पत्रांक एवं दिनांक)
			विषयशीर्ष सामग्री एवं पूर्तियाँ (0103.21.01) से 2300/— राशन एवं 500/— वस्त्र प्रति बाल श्रमिक की दर से	विषयशीर्ष दवा (0103.21.02) से विमुक्ति के समय दवा हेतु—100/— प्रति बाल श्रमिक की दर से	विषयशीर्ष आहार/पथ्य (0103.21.03) से विमुक्ति के समय भोजन/नारता हेतु—100/— प्रति बाल श्रमिक की दर से		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	उप श्रमायुक्त, मुंगेर	02	5600	200	200	6000	सहायक श्रमायुक्त, मुंगेर का पत्रांक—1534 दिनांक—06.08.2025 के आलोक में।

- यह राशि विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या—2244 दिनांक—02.05.2025 के आलोक में चालू वित्तीय वर्ष—2025—26 में “बाल श्रमिक पुनर्वास तंत्र का सुदृढीकरण योजना” अनुदान की राशि रु 3000/—(रु तीन हजार) की दर से स्थायी अग्रिम से भुगतान करने के पश्चात् प्रतिपूर्ति हेतु एवं रु 5000/—(रु पाँच हजार) मात्र, प्रति विमुक्त बाल श्रमिक की दर से की दर से जिला बाल श्रमिक पुनर्वास सह कल्याण कोष में जमा कराने हेतु आवंटित की गयी है।
- अनुरोध है कि बाल श्रमिक पुनर्वास तंत्र का सुदृढीकरण योजना के तहत जाँच पड़ताल करके राशि का भुगतान/जमा किया जाय। भुगतान/जमा के पश्चात् संबंधित उपयोगिता प्रमाण पत्र विभाग को ई—मेल/स्पीड पोस्ट द्वारा शीघ्र उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।
- अनुरोध है कि यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक—256/वि० दिनांक—26.02.19, पत्रांक—732/वि० दिनांक—31.07.19 एवं वित्त आयुक्त के स्थायी ज्ञापक—2561/वि०(2), दिनांक—17.04.98 के आलोक में है।
- अनुरोध है कि इस आवंटित राशि से, किसी भी परिस्थिति में, अधिक भुगतान/जमा नहीं किया जाय। यदि आवंटित राशि से अधिक भुगतान/जमा किया जाता है तो वह अनियमित होगा।
- अनुरोध है कि आवंटित राशि से हुए भुगतान/जमा की सूचना विहित प्रपत्र में आवश्यक टी०भी० नं० तथा तिथि के साथ निकासी के उपरांत निश्चित रूप से उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

12. अनुरोध है कि आवंटित राशि को नियमानुसार जाँच कर उन्हीं विमुक्त बाल श्रमिकों को उपलब्ध कराया जाय, जिन्हें पूर्व में इस हेतु लाभांशित नहीं किया गया हो।
13. यह आवंटन राज्य योजना से संबंधित है।
14. श्रमायुक्त, श्रम संसाधन विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

ह0/-

(मनीष कुमार)

सहायक श्रमायुक्त।

ज्ञापांक: 6/एफ1-05/2025 श्र0सं0- 5-116

पटना, दिनांक- 21-8-25

प्रतिलिपि:- सचिव के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित कोषागार तथा उप कोषागार पदाधिकारी/ संयुक्त श्रमायुक्त-2, प्रभारी प्रशाखा-01, श्रम पक्ष/संबंधित उप श्रमायुक्त/संबंधित सहायक श्रमायुक्त/संबंधित श्रम अधीक्षक एवं व्यय विवरणी शाखा प्रशाखा-6, श्रम पक्ष/आईटीमैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. संबंधित उप श्रमायुक्त, सहायक श्रमायुक्त एवं श्रम अधीक्षक से अनुरोध है कि वे संबंधित जिला पदाधिकारी से अविलम्ब सम्पर्क स्थापित कर आवंटित किये गये राशि के विरुद्ध नियमानुसार शत प्रतिशत भुगतान/जमा कराने हेतु अनुरोध करेंगे एवं कृत कार्रवाई से अधोहस्ताक्षरी को भी अवगत कराने की कृपा करेंगे।

विश्वासभाजन

Signed by Manish Kumar

Date: 20-08-2025 15:34:50

(मनीष कुमार)

सहायक श्रमायुक्त।